तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.10.25	आज यह पत्रावली वकुलायन फरीकेन के निवेदन पर पेशी में ली गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा वादपत्र, राजीनामा में अंकित कथनों को बहस में दोहराते हुए वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर रजिस्टर्ड दान पत्र पंजीबद्ध क्र स. 202503223104951 दिनांक 13.06.2025 व क्र स. 202503223104942 दिनांक 13.06.2025 को शून्य घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया। वकीलवादी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RBJ 2002 RAJ HC-468, AIR 2012 PATNA HC-45, 1992 CCC-0511 A.p H.C पेश किए।	

हमने वादपत्र, राजीनामा व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया व बहस का विधि के परिप्रेक्ष्य में मनन किया।

हमारी राय में विधि का यह सुस्थापित मत है कि कृषि अभिधृतियों के संबंध में अधिकारिता वाद हेतुक पर आधारित होगी व न्यायालय को यह देखना होगा कि वास्तविक/तात्विक/मुख्य अनुतोष यदि खातेदारी अधिकारों या कब्जे की घोषणा का हो तो रजिस्टर्ड दस्तावेजों के रद्दकरण का आदेश आनुषंगिक अनुतोष के रूप में राजस्व न्यायालय द्वारा दिया जा सकेगा क्योंकि आनुषंगिक अनुतोष महत्वपूर्ण नहीं है। इस सम्पूर्ण विवेचना में न्यायालय द्वारा वाद हेतुक के निर्धारण हेतु वादपत्र के कथनों को देखा जाएगा। हस्तगत प्रकरण में वादपत्र का सारतत्व (पिथ एण्ड सबसटेंस) रजिस्टर्ड दस्तावेजों को रद्द करवाया जाना है ना कि वादग्रस्त भूमि बाबत अपने हक–हिस्से या अधिकारों की घोषणा चाही गयी है। हमारी राय में इस प्रकार पंजीबद्ध दस्तावेज के रद्दीकरण का मुख्य अनुतोष प्रदान किये जाने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को ना प्राप्त होकर सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हमारे विनम्र मतों में हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः वाद वादी में चाहा गया अनुतोष सक्षम सिविल न्यायालय में पोषणीय होने के विवेचना के साथ वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील/तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
बीकानेर।